राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ0 राधाकृष्ण शिक्षा संकुल परिसर मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राज0

क्रमांकः एफ 1(131)संस्थापन / अ.स.मा.वि. / क.स. भर्ती / 2020 / 9602 दिनांकः 22/12/2020

—: नियुक्ति आदेश :—

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग जयपुर के पत्र पं.1(2)प्र.सु. / अनु.3 / 2020 दिनांक 24.09.2020 के द्वारा अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर को कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2013 के (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 172 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 16) कुल 188 दिव्यांगजन कैरी–फॉरवर्ड पदो के विरूद्ध गैर अनुसूचित क्षेत्र के 157 चयनित अभ्यर्थियों को विभाग (नियुक्ति अधिकारी) जिले के आवंटन किये जाने हेतु काउन्सलिंग में अभ्यर्थी द्वारा विकल्पित जिलो में से वरीयता के आधार पर आवंटित जिले हेतु राजस्थान सेवा नियमों एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत अस्थायी आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर उनके नाम के आगे अंकित जिला कार्यालय में कार्मिक विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग (नियम) की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी(Probationer trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/– प्रतिमाह एवं दो वर्ष परीवीक्षाधीन सेवा संतोषप्रद पूर्ण करने पर पे–मेट्रिक्स लेवल–5 में निम्नलिखित शर्तो पर नियुक्त किया जाता है :–

विवरण						आवंटित जिला	पदस्थापन हेतु कार्यालय का नाम
अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	वरीयता क्रमांक	जन्मतिथि	वर्ग	चयन वर्ग		
राकेश कुमार चौधरी	दलपत सिंह	27770	17.07.1993	ओबीसी	विकलांग	बूंदी	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बूंदी

1. उक्त अभ्यर्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर–अन्दर अपना पद का कार्यभार ग्रहण करें। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें कि ये कब तक कार्यभार ग्रहण करेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में कार्यरत है, तो उन्हें विकल्प के आधार पर राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें, परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
3. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 30.10.2017 के नियम 16 की अनुसूची–IV के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगे। Fixed Remuneration पर कार्य करने की अपनी सहमति पदस्थापन कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता आदि देय नहीं होगें।
5. यदि उपरोक्त अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया गया, तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय पृथक किया जा सकेगा।
6. दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही वेतन निर्धारण एवं नियमितीकरण की कार्यवाही की जावेगी।
7. परिवीक्षाकाल अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में प्रभावी प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
8. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ 13(1)वित्त / नियम / 2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
9. यदि उक्त अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा फर्जी पाये जाते है तो इनकी सेवाऐं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
10. उक्त अभ्यर्थी की जन्मतिथि इनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।

11. चयनित अभ्यर्थी के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा वरीयता क्रम के अनुसार रहेगी।
12. पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर नियुक्ति अधिकारी चयनित अभ्यर्थी को अपात्र घोषित करते हुए उनका चयन निरस्त कर सकेगा।
13. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य रहेगी।
14. उक्त अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्नित किये जाने गये दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/मिथ्या पाये जाते है तो राज्य सरकार/विभाग इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी।
15. अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय में उपस्थिति के समय पर उपस्थिति रिपोर्ट के साथ-साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र व पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र (यदि प्रस्तुत नही किया हो तो) आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
16. उक्त नियुक्ति पर वित्त विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ. 9 (4) वित्त/नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार चिकित्सा परिचर्या नियम 1970 के प्रावधान लागू नहीं होगें एवं वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.6 (5) वित्त/नियम /99 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार मेडिक्लेम बीमा योजना लागू होगी।
17. उक्त अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

22.12.2020

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

क्रमांकः एफ 1(131)संस्थापन/ अ.स.मा.वि./क.स. भर्ती/2020/9603-14 दिनांकः 22/12/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
5. शासन उपसचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग को पत्र क्रमांक प.1(2)प्र.सु./अनु.3/2020 दिनांक 24.09.2020 के क्रम में।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालय हाजा।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बूंदी को भेजकर निर्देश है कि नव नियुक्त कनिष्ठ सहायक की कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, बूंदी।
10. संबंधित अभ्यर्थी श्री राकेश कुमार चौधरी, दूनवास, तहसील मुण्डावर जिला अलवर 301020।
11. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देश है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
12. रक्षित पत्रावली कार्यालय हाजा।

22/12

(नसीम खान)
उपनिदेशक प्रथम